कार्यालय वरिष्ठ

अधीक्षक जनपद आजमगढ



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403, ई-मेंल- spazh-up@nic.in



पत्र संख्या- 14/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 10.01.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 11.01.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना दीदारगंज: मंदिर से चोरी गये सामान के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार व एक बाल अपचारी अभिरक्षा में पूर्व का विवरण-

दिनांक- 19.08.24 को वादी तिलकधारी राजभर पुत्र स्व0 हुबई राजभर ग्राम पुष्पनगर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ ने थाना दीदारगंज पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 17.08.2024 को गांव में स्थित शिवमंदिर में की रात में किसी समय अज्ञात चोरों द्वारा मंदिर का ताला तोड़कर उसमें रखे हुए सारे सामान चुरा ले गये। जिसमे 50 पीतल के घंटे, आरती स्टेण्ड, जलाभिषेक वर्तन, नाग देवता की पांच मुंह वाली तांबे की मूर्ति , 2 घंट-घड़ियाल, तथा बैट्री, मशीन एवं साउण्ड, पीतल के पांच लोटे,थे। इस सामानों के साथ अन्य सामान भी गायब है। जिसपर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 218/24 धारा 305, बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ था।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक- 11.01.2025 को उ0नि0 अबधेश कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त भोन् पुत्र शंकर ग्राम यारीपुर गद्दोपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ व 01 बाल अपचारी को चोरी गये सामान 01 अदद इन्वर्टर कम्पनी माइक्रोटेक रंग सफेद क्रीम कलर व 01 अदद बैट्री ट्यूबलर कम्पनी ल्युमिनस 150 एएच व 02 अदद घण्टा वजन लगभग 01किलो 100 ग्राम के साथ चरौवां तिराहा विद्युत फीडर केन्द्र के सामने से समय करीब 07.30 बजे पकड़ा गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

भोन् पुत्र शंकर ग्राम यारीपुर गद्दोपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

क्र0सं0 म्0अ0सं0 धारा

थाना जनपद

1 218/24 305,317(2) बीएनएस

दीदारगंज

आजमगढ़

2. 124/23 323/506/325/504/34 भादवि

दीदारगंज

आजमगढ

बरामदगी 01 अदद बैट्री ट्यूबलर कम्पनी 2. 02 अदद घण्टा 3.01 अदद इन्वर्टर



02.थाना- कोतवाली: 2.5 kg गांजा, 50 हजार रूपयें व घटना में प्रयुक्त हुन्डई कार के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक- 11.01.2025 को उ0िन0 उमेशचन्द्र यादव, उ0िन0 राज नारायण पाण्डेय, उ0िन0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल, उ0िन0 रिव प्रकाश गौतम, मय हमराह द्वारा चेिकंग के दौरान 02 अभियुक्तगण 1. अंजली उर्फ अंजना उर्फ रूपाली देवी पुत्री महेन्द्र उर्फ रामसुरेश निवासिनी पूरवा मकदुमपुर थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकर नगर उम्र 25 वर्ष, 2. मैनुद्दीन पुत्र अजीज निवासी कोर्राघाटमपुर थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़ उम्र 43 वर्ष को समय 09.40 बजे राजघाट से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया तथा कब्जे से 2.5 किलोग्राम नाजायज गांजा, घटना में प्रयुक्त हुंडई कार व 50000 रूपया बरामद हुआ। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- अंजली उर्फ अंजना उर्फ रूपाली देवी पुत्री महेन्द्र उर्फ रामसुरेश निवासिनी पूरवा मकदुमपुर थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकर नगर उम्र 25 वर्ष,
- 2. मैनुद्दीन पुत्र अजीज निवासी कोर्राघाटमपुर थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़ उम्र 43 वर्ष बरामदगी का विवरण:-
 - 1. 2.5 किलोग्राम नाजायज गांजा
 - 2. हुन्डई कार नं0 UP62BB1117,
 - 3. 50 हजार रूपया बरामद हुआ।

पंजीकृत अभियोग -

1-मु0अ0सं0 15/2025 धारा 8 /20 NDPS Act थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ आपराधिक इतिहास - 1. अंजली उर्फ अंजना उर्फ रूपाली देवी उपरोक्त

1- मु0अ0सं0 197/23 धारा 8/ 20/ 29 NDPS Act थाना अलीगंज जनपद अम्बेडकर नगर गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1- उ0िन0 उमेशचन्द्र यादव, उ0िन0 राज नारायण पाण्डेय, उ0िन0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल, उ0िन0 रिव प्रकाश गौतम, म0उ०िन0 स्मिता गुप्ता, हे0कां0 सतीश यादव, कां0 अनिरुद्ध प्रसाद, कां0 राजन कुमार थाना कोतवाली आजमगढ़



03. थाना – कप्तानगंजः गैर इरादतन हत्या में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

वादी सूरज निषाद पुत्र शंकर निषाद निवासी ग्राम अलहनी, थाना-कप्तानगंज, जनपद - आजमगढ़ द्वारा थाना कप्तानगंज पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 08.01.25 के रात्रि करीब 08 बजे वादी के घर पर अभियुक्तगणों द्वारा एक राय होकर हाथ में लाठी-डण्डा व लात घुसा से मारने पीटने तथा अभियुक्तगणों के मारने से वादी की माता को अन्दरूनी चोटे आना वह जमीन पर गिरकर तुरन्त बेहोश हो जाना तथा जब उनको बचाने के लिए वादी की भाभी व पिता आये तो उनको भी मारने पीटने व अभियुक्तगणों द्वारा एक राय होकर हाथ में लाठी-डण्डा से मारना पीटना । अभियुक्तों के मारने से वादी की माता को अन्दरूनी चोटे आना वह जमीन पर गिरकर तुरन्त बेहोश हो जाने तथा जब उनको बचाने के लिए वादी की भाभी व पिता आये तो उनको भी मारना पीटना व वादी के माता को हास्पीटल ले जाने पर डाक्टर द्वारा वादी की माता खरपत्ती देवी की मृत्यु हो जाना बताने के सम्बन्ध में दा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 04/25 धारा 105/115(2)/351(2)/352 BNS बनाम 1.कोमल निषाद पुत्र स्व0 मितई निषाद 2. संजय निषाद पुत्र कोमल निषाद 3. किताबी देवी पत्नी कोमल निषाद 4. सुनीता निषाद पुत्री कोमल निषाद निवासीगण अलहनी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध दिनांक 09.01.25 को पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना विरुष्ठ 30नि0 विजय सिंह गौड़ द्वारा प्रचलित है। गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ उ0िन0 विजय सिंह गौड़ मय हमराह द्वारा आज दिनांक 11.01.25 को प्रकाश में आए अभियुक्त संजय निषाद पुत्र कोमल निषाद साकिन अल्हनी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष को उसके घर ग्राम अल्हनी से समय करीब 12.10 बजे अभियुक्त संजय निषाद उपरोक्त को हिरासत पुलिस मे लेकर मा0न्या0 रवाना किया गया।



04. थाना निजामाबाद: चोरी की मोटर साईकिल के साथ शातिर अपराधी गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण -

अवगत कराना है कि आज दिनांक 11.01.2025 की रात्रि में 30नि0 सुधीर पाण्डेय व 30नि0 कमला प्रसाद मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान चोरी की एक मोटरसाइकिल पैशन प्रो0 को एक व्यक्ति यशवन्त उर्फ भाटे पुत्र रामिमलन निवासी खतीरपुर डण्डवा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र 38 वर्ष हिरासत में लिया गया उक्त वाहन के पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया कि थाना कन्धरापुर और वाहन स्वामी से पता चला कि दिनांक 23.11.21 को आजमगढ़ शहर से चोरी हो गई थी। जिसके सम्बन्ध मे थाना कोतवाली आजमगढ़ में मु0अ0स0 384/21 धारा 379 भादिव पंजीकृत है। पकड़े गये व्यक्ति से कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा बताया गया कि दिनांक 23.11.21 को शाम जुनैदगंज चौराहा आजमगढ़ के पास से इस मोटर साईकिल को चुरा कर उसके नम्बर प्लैट को बदल कर 3 साल से चला रहा था तथा अपनी गलती की बार बार माफी मांग रहा है। पकड़े गये व्यक्ति को जुर्म अन्तर्गत धारा 317(2), 317(4), 341(4) BNS का दण्डनीय अपराध का बोध कराते हुए समय करीब 01.44 बजे रात्रि में हिरासत पुलिस मे लिया गया। अभियुक्त उपरोक्त का नियमानुसार माननीय न्यायालय/जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1-यशवन्त उर्फ भाटे पुत्र राममिलन निवासी खतीरपुर डण्डवा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ तथा उम्र 38 वर्ष बरामदगी-

1-एक अदद चोरी की मोटर साईकिल हीरो पैसन प्रो0 UP50AC7769

आपराधिक इतिहास यशवन्त उर्फ भाटे पुत्र राममिलन निवासी खतीरपुर डंडवा थाना निजामाबाद आजमगढ

- 1. मु0अ0स0 08/25 धारा 317(2), 317(4), 341(4) BNS
- 2. मु0अ0सं0 327/24 धारा 379/411/413/414 IPC थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
- 3. मु0अ0स0 384/21 धारा 379 थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
- 4. मु0अ0सं0 40/08 धारा 379/411 IPC थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
- 5. मु0अ0सं0 123/08 धारा 380 IPC थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
- 6. मु0अ0सं0 202/08 धारा 307/41/411/419/420/467/468 IPC, 3/25 Arms Act व 7 CLA थाना सरायमीर आजमगढ़
- 7. मु0अ0सं0 204/08 धारा 4/25 Arms Act थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
- 8. मु0अ0सं0 206/08 धारा 307/41/411/419/420/467/468 IPC थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
- 9. मु0अ0सं0 208/08 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
- 10. मु0अ0सं0 08/12 धारा 110 (G) थाना निजामबाद जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1.30नि0 सुधीर पांण्डेय , 2.30नि0 कमला प्रसाद 3.हे0का0 मुलायम यादव
- 4.का0 सौरभ कुमार पाल थाना निजामाबाद आजमगढ़



